<u>न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा,</u> न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—912 / 2012 संस्थित दिनांक—16.11.2012 फाई. क.234503000182012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, गढ़ी जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – अभियोजन

/ / विरूद्ध / /

माखनलाल ओझा पिता बिहारीलाल, उम्र—26 वर्ष, निवासी ग्राम परसामउ, परसाटोला थाना गढ़ी जिला बालाघाट।

/ / <u>निर्णय</u> / / (आज दिनांक 09 / 02 / 2018 को घोषित)

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 02.11.2012 को रात्रि के 09:30 बजे स्थान ग्राम परसामउ सरईटोला में शांतिबाई के घर के सामने हैंडपंप के पास लज्जा भंग करने के आशय से प्रार्थी परबितयाबाई का हाथ पकड़कर व सीना दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 05.11.12 को प्रार्थीयाँ परबितयाबाई ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 02.11.12 को करीब 10:00 बजे मांदी के कार्यक्रम में हिरण गोंड के घर परसाटोला गई थी। गांव के लोगों के साथ नाला से नहाकर शाम करीब 07:00 बजे हिरन टेकाम के घर आ गये और खाना—पीना खाकर आंगन में महिलाओं तथा बच्चों के साथ बैठी थी। करीब रात्रि 09:00 बजे माखनलाल ओझा मांदी वाले के ढहल से उसे बुलाया तो वह गई, माखन ने बोला कि लिलता शांतिबाई के घर है उसको बुलाकर ला तो वह शांतिबाई के घर लिलता को बुलाने गई तो लिलता नहीं आती बोली फिर वह माखन को बताने गई तो माखन शांतिबाई के घर के सामने हैंडपंप के पास अंधेरे में करीब 09:30 बजे रात में खड़ा था।

उसने बताई कि लिलता नहीं आती कहती है तो माखन ओझा बोला कि लिलता को क्यों नहीं लाई कहकर उसकी बेईज्जती करने की बुरी नियत से उसे पकड़ लिया और सीना दबाने लगा। वह झटका मारकर शांतिबाई के घर आकर शांतिबाई और लिलता को घटना बताई। उसके दाहिने हाथ की चूड़ी टूट गई। दिनांक 03.11.12 को घटना सोमाबाई गोंड को बताई। उसके पति गांव गये थे, इसलिये वह थाना रिपोर्ट करने नहीं आई। पति के गांव से आने पर वह रिपोर्ट करने आई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 59/2012 दिनांक 12.11.12 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूटा फॅसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1.क्या आरोपी ने घटना दिनांक 02.11.2012 को रात्रि के 09:30 बजे स्थान ग्राम परसामउ सरईटोला में शांतिबाई के घर के सामने हैंडपंप के पास लज्जा भंग करने के आशय से प्रार्थी परबतियाबाई का हाथ पकड़कर व सीना दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u> :—

05— साक्षी परबतियाबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी माखनलाल को जानती है, जो उसके गांव का है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 02 वर्ष पुरानी दीपावली के समय की है। घटना दिनांक को

गांव के हीरन के घर मांदी के कार्यक्रम में गयी थी। शाम को नहाकर खाना-पीना खाकर हीरन के घर के आंगन में बैठी थी। रात्रि करीब 9:30 बजे आरोपी माखनलाल ने उसे आकर कहा कि ललिताबाई को बुलाकर ला दे, तब वह शांतिबाई के घर जाकर ललिताबाई को बताई कि माखन बुला रहा है तो ललिताबाई नहीं आई तो वह वापस हिरन के घर आ रही थी, तब आरोपी माखनलाल ने हैंडपंप के पास अंधेरे में उसे पकड़ लिया और कहा कि ललिताबाई को बुलाकर क्यों नहीं लाई तो आरोपी उसे कहने लगा कि उसके बदले में तू चल कहकर पकड़ लिया और पकड़ कर स्कूल के तरफ ले जाने लगा, जब वह नहीं जाने लगी तो उसे चिल्लाना नहीं कहकर ले जाने लगा। फिर उसे आरोपी ने पकड़ा था और वह चिल्लाने लगी तो आरोपी ने छोड़ दिया तो वह शांतिबाई के घर आई और शांतिबाई तथा ललिताबाई को घटना की बात बतायी। आरोपी उसकी बेइज्जती करने की नियत से उसे पकड़कर ले जा रहा था। आरोपी के पकड़ने से उसके हाथ की चूड़ी टूट गयी थी। घटना के समय उसका पति अपने ससुराल गया था। जब वह रविवार को वापस आया तो वह सोमवार को गढ़ी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका चिकित्सीय परीक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में हुआ था। पुलिस को उसने ६ ाटनास्थल बता दी थी। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी-01 बनाया था। वह हस्ताक्षर के रूप में अंगूठा निशानी लगाती है। पुलिस ने उससे एक लाल कलर की चूड़ी और शेष टूटी चूड़ी के टुकड़े जप्त की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी परबितयाबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके पित एवं आरोपी के बीच झगड़ा है, दिनांक 05.11.12 को आरोपी को उसके पित धानूसिंह ने मारा था। साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसे धक्का लगाया था तो उसके पित ने मारा था। यह स्वीकार किया है कि उसने भी आरोपी को मारी थी। साक्षी के अनुसार गलत किया था तो मारा था। यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसे धक्का दिया था। उसने घटना की रिपोर्ट तीन दिन बाद की थी। साक्षी ने अस्वीकार किया

है कि उसके पित एक दिन बाद आ गया था। साक्षी के अनुसार घटना वाले दिन के दिन रविवार को शाम के समय आये थे। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि धानूसिंह ने घटना के पहले आरोपी माखनलाल को रायपुर में मारा था।

- 07— साक्षी परबितयाबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि सोमवार को शाम के समय रिपोर्ट दर्ज करवाये थे, पहले वह लोग आरोपी को मार दिये थे उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज करवाने गये थे। आरोपी ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना की बात शांतिबाई और लिलताबाई को बतायी थी, वाली बात उसने पुलिस कथन में बताई थी और समाबाई को घटना के दो दिन बाद बतायी थी, यदि सोमाबाई को घटना की बात दो दिन बाद बताना लिखायी थी यदि पहले लिखी गई होगी तो इसका कारण नहीं बता सकती, प्रपी—01 का मौका—नक्शा जिस दिन वह सूचना दर्ज करवाने गयी थी उसी दिन बनाया गया था।
- 08— साक्षी परबितयाबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने प्रपी—01 का मौका—नक्शा में यह बोला था कि वह अंगुठा लगा दे तो वह बना लेंगे, आरोपी ने उसकी बेईज्जती नहीं किया था, आरोपी ने रिपोर्ट लिखाया था, इसलिए उससे बचने के लिये उसने भी लिखाई थी, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के बारे में पुलिस वालों ने घटना दिनांक को ही बयान लिये थे, रिपोर्ट दिनांक के बाद में बयान लेख हो तो वह गलत है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उन लोगों ने आरोपी को रंजिशवश तीन दिन बाद रिपोर्ट दर्ज कर फंसाये थे।
- 09— साक्षी धानूसिंह अ.सा.02 ने कथन किया है वह आरोपी माखनलाल को जानता है। फरियादि परबतियाबाई उसकी पत्नि है। घटना

उसके न्यायालयीन कथन से लगभग देढ़ वर्ष पुरानी है। जब वह घटना समय अपने ससुराल से वापस आया तो उसकी पितन परबितयाबाई ने बतायी थी कि आरोपी माखनलाल ने जब वह मांदी के कार्यक्रम में हिरन के घर गई थी तो रात्रि के समय पकड़ लिया था। जब परबितयाबाई ने बताया था कि लिलताबाई नहीं आई इसी बात को माखन को बताने गयी तो माखन ने लिलताबाई को क्यों नहीं लाई कहकर उसे पकड़ कर स्कूल तरफ ले जा रहा था। परबितयाबाई ने यह भी बतायी थी कि आरोपी बुरी नियत से उसका सीना दबाने लगा था। पुलिस ने पूछताछ की थी।

- 10— साक्षी धानू सिंह अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह लोग रायपुर कमाने जाते है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी माखन भी रायपुर कमाने—खाने जाता है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि रायपुर में वर्ष 2008 में आरोपी ने माखन को मारा था, आरोपी को उसने और उसकी पिल ने मारपीट किये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि माखन ने रिपोर्ट किया था तो उन लोगों ने भी रिपोर्ट किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जिस दिन उसने रिपोर्ट किये थे, उसी दिन पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिये थे, इसके अलावा दूसरे दिन नहीं लिये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उन लोगों ने माखन से मारपीट किये थे, इसलिये आरोपी माखनलाल के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट कर दिये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन लोग सोमवार की शाम को गये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने रिपोर्ट माखन के पीछे लिखवाया था। साक्षी के अनुसार उन लोग दोनों साथ में रिपोर्ट लिखवाने गये थे।
- 11— साक्षी सोमबती उर्फ सोमा अ.सा.03 ने कथन किया है वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी माखनलाल को पहचानती है तथा प्रार्थी परबतियाबाई को भी जानती है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने पूछताछ कर पुलिस को बयान नहीं दी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से

सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि वह घटना दिनांक को परबितयाबाई के साथ हैंडपंप में पानी भरने गयी थी, उसके सामने आरोपी माखनलाल फिरयादिया परबितयाबाई का हाथ पकड़ कर सीना दबाकर आपराधिक बल का प्रयोग किया था, वह आरोपी से मिल गयी है, इसिलये न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसने घटना के संबंध में पुलिस को बतायी थी, वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी और ना ही घटना की उसे जानकारी है, उसने प्रडी—01 के कथन पुलिस को नहीं दी थी।

- 12— साक्षी लिलताबाई अ.सा.06 ने कथन किया है वह आरोपी तथा प्रार्थी परबितयाबाई को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब 05 वर्ष पूर्व ग्राम परसाटोला में सुबह के समय की है। घटना के समय गांव में मांदी का कार्यक्रम था। बाद में उसे पता चला था कि परबितयाबाई और माखन का झगड़ा हुआ था। घटना कैसे हुई वह नहीं बता सकती, क्योंकि उसने घटना नहीं देखी है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।
- 13— साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.०४ ने कथन किया है वह दिनांक 06.11.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर के आरक्षक संजू द्वारा श्रीमती परबतियाबाई को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। जांच पर उसने एक पुरानी चोट होना पाया। चोट के सुधरने के बाद ईस्कार बन गया था जो कि दाहिने हाथ के अंदर की ओर होना पाया था। उसके मतानुसार कोई नई चोट नहीं थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रपी–03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उक्त चोट उसके परीक्षण करने के 10 दिन पूर्व की थी।

- 14— साक्षी जी.एल. चौधरी अ.सा.05 ने कथन किया है वह दिनांक 05.

 11.2012 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थिया परबतियाबाई मरकाम द्वारा आरोपी माखनलाल ओझा के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर उसके द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 64/12 अंतर्गत धारा—354 मा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो प्र.पी.04 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा रिपोर्ट पर प्रार्थिया परबतियाबाई की अंगुठा निशानी है। दिनांक 06.11.2012 को प्रार्थिया परबतियाबाई का मुलाहिजा करवाया गया था। दिनांक 06.11.2012 को थाना प्रभारी के आदेशानुसार केस डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल जाकर फरियादी परबतियाबाई की निशादेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.01 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही प्रार्थिया परबतियाबाई द्वारा घटनास्थल पर लाल रंग की चूड़ी के आठ टुकड़े तथा एक लाल रंग की चूड़ी अपने हाथ से निकाल कर पेश करने पर गवाह शांतिबाई तथा बरसुसिंह सैयाम के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।
- 15— साक्षी जी.एल. चौधरी अ.सा.05 के अनुसार उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा फरियादी परबतियाबाई, गवाह धानूसिंह, शांतिबाई तथा दिनांक 09.11.2012 को गवाह सोमाबाई, लिलताबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी माखनलाल मरावी को गवाह सुबेसिंह मरावी तथा बिहारीलाल मरावी के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी माखनलाल के हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने प्र.पी.04 की कार्यवाही अपने मन से लेख किया था, प्र.पी.01 उसने मौके पर जाकर नहीं बनाया था, परबतियाबाई, धानूसिंह, शांतिबाई, सोमाबाई, लिलताबाई के कथन उसने अपने मन से लेख

कर लिया था, उसने प्रार्थिया से मिलकर आरोपी के विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया है।

- घटना के तीन दिन बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.4 लेखबद्ध की 16-गई है, जिस हेतु परिवादी द्वारा दिया गया कारण प्रथमदृष्टया उचित प्रतीत होता है। परिवादी परबतियाबाई अ.सा.01 के अनुसार उसने घटना की बात शांतिबाई और ललिताबाई को बताई थी, परंतु किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। परिवादी परबतियाबाई अ.सा.01 तथा उसके पति धानूसिंह अ.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपी के साथ मारपीट की थी। उक्त संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क है कि आरोपी से की गई मारपीट से बचने के लिए परिवादी तथा उसके पति द्वारा आरोपी को झूटा फॅसाया गया है। उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि यह संभव नहीं है कि सामान्यतः ग्रामीण परिवेश की महिला लज्जा के संबंध में किसी व्यक्ति को मिथ्या आलिप्त करेगी, जबिक उक्त संबंध में अन्य आरोपों के विकल्प की उपलब्ध है तथापि संपूर्ण घटना कम पुष्टिकारक साक्ष्य के अभाव में संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि परिवादी परबतियाबाई अ.सा.०1 के अनुसार आरोपी के पकड़ने पर उसके हाथ की चूड़ियाँ टूट गई थी, जबकि चिकित्सा साक्षी डॉ0 एन.एस. कुमरे अ.सा.04 ने परिवादी के हाथ पर 10 दिन पुरानी चोट पाई थी।
- 17— घटना का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्षी ने नहीं किया है तथा उपलब्ध साक्ष्य घटना के संबंध में युक्ति—युक्त संदेह उत्पन्न करते हैं, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक 02.11.2012 को रात्रि के 09:30 बजे स्थान ग्राम परसामउ सरईटोला में शांतिबाई के घर के सामने हैंडपंप के पास लज्जा भंग करने के आशय से प्रार्थी परबतियाबाई का हाथ पकड़कर व सीना दबाकर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त माखनलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—354 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप

से दोषमुक्त किया जाता है।

18- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

19— अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा—428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

20— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लाल रंग की चूड़ी के टुकड़े मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट

